21/01

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सप्लाई विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 02/2021 श्री सरकार जरिये पवर्तन निरीक्षक बिछीवाडा बनाम प्रदीप भाई बोलीवाल	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18 .08.2021	पत्रावली आज अप्रार्थी श्री प्रदीप भाई बोलीवाल पुत्र श्री प्रताप भाई बोलीवाल निवासी 4/108 जलाराम नगर कडोदरा तालुका पलसाना सूरत गुजरात बहैसियत मालिक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वाहन टैंकर 2019 का तेल टैंकर जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर G J 19 X 9495 को छुडवाने बाबत पेश करने पर प्रस्तुत हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अनुसंधान में वाहन की आवश्यकता होने के संबंध में विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त वाहन का प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। विभागीय पेरोकार ने बताया कि विपक्षी का उक्त वाहन पेट्रोलियम पदार्थ का अवैद्य परिवहन करने एवं लेहणा स्थित पंडित होटल परिसर में भूमिगत टेंक में 12,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैद्य रूप से खाली करने एवं 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ उक्त टैंकर में भरा होने से पुलिस थाना बिछीवाडा को जप्ती में दिया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभागीय पेरोकार ने बताया कि उक्त वाहन का प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चूका है। टैंकर वाहन संख्या G J 19 X 9495 में भरा हुआ 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की सुपर्दगी करने के उपरान्त जप्त शुदा टैंकर को सुपर्दगी नामा एवं जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किया जा सकता है। अप्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी का जप्त शुदा वाहन पिछले 6 माह से ज्यादा समय से पुलिस थाना बिछीवाडा के परिसर में पडा–पडा खराब हो रहा है और वाहन को अनिश्चित समय तक थाने में रोके नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें सुपुर्दगीना एवं जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित है। विपक्षी के अभिभाषक ने जप्तशुदा टैंकर में 10,000 पेट्रोलियम पदार्थ को अपने खर्चे से खाली करा वाहन छुडाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त वाहन लम्बे समय तक पुलिस थाना बिछीवाडा के रख–रखाव के अभाव में मशीनरी खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी उक्त वाहन को मुक्त कराने हेतु सुपुर्दगीनामा एवं जमानत प्रस्तुत करने तैयार है। उक्त वाहन को रिलिज किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त वाहन टैंकर 2019 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर G J 19 X 9495 के संबंध में 20,00,000 रुपये (अक्षरे बीस लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा एवं 20,00,000 रुपये (अक्षरे बीस लाख रूपये) की जमानतनामा निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत करने पर रिलिज किये जाने के आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण होने तक वाहन में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल एवं बेचान नहीं किया जावे। न्यायालय को जब भी वाहन की आवश्यकता होगी अप्रार्थी वाहन को सुपुर्द करने हेतु पाबन्द रहेगा। वाहन संख्या G J 19 X 9495 में करीब 10,000 लीटर अवैद्य कथित पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है, को खाली करने के लिए ड्रम अप्रार्थी स्वयं	

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्थान)

उपलब्ध कराकर थानाधिकारी बिछीवाडा को 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ सुपुर्द किया जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर को निर्देश है कि इस प्रकरण में जब्त वाहन की अन्य किसी मामलें में आवश्यकता नहीं होने की दशा में उक्त वाहन पंजीकृत स्वामी को माफिक आदेश 20,00,000 रुपये (अक्षरे बीस लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा एवं 20,00,000 रुपये (अक्षरे बीस लाख रूपये) की जमानत नामा प्रस्तुत करने पर तथा वाहन के मूल दस्तावेजों से मिलान करने के बाद लौटाया जावे। बाद तस्दीक सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। निर्णय अनुसार पालना करने हेतु थानाधिकारी बिछीवाडा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)